[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 22nd January, 2014]

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2014

संख्या 13/4/2013–3 परि०(I).—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 65 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/4/2013-3परि०(I), दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 33 में, उपनियम (1) में, द्वितीय परन्तुक में, "100" अंकों के स्थान पर, "20" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 33 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"33क मोटर वाहनों को अधिमान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या आंबटित करना.—

(1) धारा 65 (2) (ख) (त)–(1) निम्नलिखित अधिमान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर मोटर वाहनों के मालिकों द्वारा नीचे यथा वर्णित अतिरिक्त फीस के भुगतान पर, आंबटित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) गैर–परिवहन वाहनों के लिए:—

क्रम सख्या	रजिस्ट्रीकरण संख्या	प्रत्येक संख्या के लिए अतिरिक्त फीस
1	2	3
1.	0001	₹ 5,00,000/-
2.	0007,0009	₹ 1,50,000/-
3.	0002 से 0006, 0008	₹ 75,000/-
4.	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100 तथा 0786	₹ 50,000/-
5.	0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 0012 से 0021, 0023 से 0032, 0034 से 0043, 0045 से 0054, 0056 से 0065, 0067 से 0076, 0078 से 0087, 0089 से 0098	₹ 25,000/-

1	2	3
6.	चालू श्रृंखला में बिना बारी की पसंद का कोई अन्य चिह्न	₹ 10,000/-

(ख) परिवहन वाहनों के लिए:–

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण संख्या	प्रत्येक संख्या के लिए अतिरिक्त फीस
1.	0001	₹ 1,00,000/-
2.	0002 से 0011, 0786	₹ 20,000/-
3.	0012 से 0021	₹ 10,000/-
4.	0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100	₹ 10,000/-
5.	0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999	₹ 10,000/-
6.	1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999	₹ 10,000/-
7.	चालू श्रृंखला में बिना बारी की पसंद की कोई अन्य संख्या	₹ 10,000/-

परन्तु हरियाणा सरकार के स्वामित्वाधीन वाले मोटरवाहनों की अधिमान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या किसी अतिरिक्त फीस के भुगतान के बिना आंबटित की जाएगी।

(2) किसी भी मोटर वाहन को एक बार आंबटित की गई रजिस्ट्रीकरण संख्या बदली नहीं जाएगी :

परन्तु अधिमान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या उसी व्यक्ति जिसका विद्यमान मोटर वाहन जिसको अधिमान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या आंबटित की गई है, की स्क्रैपिंग पर उस द्वारा अपने स्वामित्वाधीन प्रथम बार के लिए रजिस्ट्रीकरण होने वाले नये वाहन को अतिरिक्त फीस के भुगतान बिना आंबटित किए जाने कि लिए अनुज्ञात किया जाएगा।"

आर. आर. जोवल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

51907—C.S.—H.G.P., Chd.